प्रपत्र : 1 कुल पृष्ठ – 5

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला.चौकी ,एसीबी, अजमेर ..... थाना.सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2022.....
प्र. इ. रि. स. 300/22 ..... दिनांक 29/7/2022
2. (अ) अधिनियम ... भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 .....धारायें...7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018.....
(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें. ....
(स) अधिनियम .....धारायें.....
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ...543.....समय.....7:00 PM.....
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 29.07.2022.... समय 10.35 एए .....
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 28.07.2022 समय.....04.00पीएम.....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा उत्तर 24 किलोमीटर .....
(ब) पता – एसडीएम ऑफिस नसीराबाद, जिला अजमेर बीट सख्या ..... जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.....जिला.....
6 परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम.... श्री गणपत सिंह.....
(ब) पिता का नाम श्री बीरम सिंह .....
(स) जन्म तिथि /वर्ष 50 साल.....
(द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
(य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....
जारी होने की जगह.....
(र) व्यवसाय..... .....रेस्टोरेंट .....
(ल) पता धोलादांता, न्यारा, पुलिस थाना नसीराबाद सदर, जिला अजमेर हाल लव गार्डन रेस्टोरेंट, नसीराबाद रोड़ अजमेर .....
.....
7 ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
श्री गिरीराज प्रसाद सैनी पुत्र श्री घनश्याम सैनी उम्र 40 साल, जाति माली, निवास प्लाट नं. 41, हनुमान वाटिका कॉलोनी, शेखावत रेस्टोरेंट के पास, जनाना बाईपास रोड़ अजमेर हाल रीडर एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम ऑफिस, नसीराबाद ज़िला अजमेर
8 परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
.....9,000रू0 रिश्वत राशि.....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....
.....9,000/– –रू0 रिश्वत राशि .....
11 विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक जी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर प्रार्थी– गणपत सिंह पुत्र बीरम सिंह निवासी धोला दांता हाल लव गार्डन रेस्टोरेंट नसीराबाद,रोड, अजमेर। विषय– रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथ पकडवाने हेतु। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत आपसे विनम्र निवेदन है कि मैने दिनांक 07.06.2022 को मेरी पत्नी श्रीमति सीता देवी के नाम से एक परिवाद अन्तर्गत धारा 87, 107, 116(3), 151 दण्ड प्रकिया सहिता के तहत श्री बीरम सिंह वगैरह 9 व्यक्तियों के विरूध एसडीएम न्यायालय नसीराबाद में पुलिस जांच होकर एसडीएम का रीडर श्री गिरिराम सैनी बीरम रावत वगैरह 9 व्यक्तियों को पाबन्द कराने के नाम पर मेरे से 10 हजार रू रिश्वत मांग रहा है तथा 1000 रू चार पांच दिन पहले मेरे से ले लिये है मै श्री गिरिराज सैनी रीडर एसडीएम कार्यालय नसीराबाद को रिश्वत नही देना चाहता हूँ कानूनी कार्यवाही करायें। दिनांक 28.07.22 प्रार्थी एस.डी. गणपत सिंह 9461009304, 9887766089

कार्यवाही पुलिस एसीबी अजमेर

समय . 4.00 पीएम दिनांक 28.07.2022

दर्ज रहे कि परिवादी श्री गणपत सिह ने अपने मोबाईल नम्बर 9887766089 से श्री सतनाम सिंह एएसपी साहब एसीबी अजमेर को फोन कर बताया कि एसडीएम ऑफिस नसीराबाद का रीडर हमारे परिवाद पर हमारी एन्टी पार्टी वालो को पाबन्द करवाने के नाम पर रिश्वत मांग

रहा है जिस पर परिवादी को कार्यालय में उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश करने की कहने पर बताया कि मै किसी कारणवश अभी आपके पास नही आ सकता, आप अपना कर्मचारी भिजवा दो मै उन्हे रिपोर्ट दे दूँगा तथा रिकॉर्डिंग भी करवा दूँगा। जिस पर श्री श्योपाल कानि 272, श्री रविन्द्र सिंह कानि को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी के मोबाईल नम्बर देकर परिवादी से सम्पर्क कर प्रार्थना पत्र लेकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाने हेतु नसीराबाद रवाना किया था। कुछ समय बाद कानि0 श्योपाल, कानि रविन्द्र सिंह एवं परिवादी श्री गणपत सिंह उपस्थित कार्यालय आये तथा कानि. श्री रविन्द्र सिंह ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र एवं डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस श्री प्रभुलाल को पेश किये। कानि0 रविन्द्र सिंह ने बताया कि हम दोनो रवाना होकर परिवादी के लव गार्डन रेस्टोरेंट नसीराबाद रोड बीर चौराया के पास पहुंचे जहॉ परिवादी ने मुझे उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया। इसके बाद मै व परिवादी श्री गणपत सिंह एसडीएम कोर्ट नसीराबाद के पास पहुँचे, मैने परिवादी को वॉयस रिकॉर्डर चालु कर सुपुर्द कर एसडीएम कोर्ट में रीडर से बात करने के लिए रवाना किया तथा मै बाहर ही रूक गया। कुछ समय बाद परिवादी वापस आया, तब मैने इनसे वॉयस रिकॉर्डर लेकर हम दोनो लव गार्डन रेस्टोरेन्ट पर पहुंचे तथा वहॉ से श्री श्योपाल कानि0 को साथ लेकर हम तीनों रवाना होकर आये है। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को अपना परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो अपना नाम गणपत सिंह पुत्र श्री बीरम सिंह जाति रावत उम्र 50 साल पैशा होटल व्यवसाय निवासी ग्राम खानपुरा तह0 अजमेर हाल लव गार्डन रेस्टोरेंट नसीराबाद रोड बीर चौराया जिला अजमेर होना बताया। परिवादी दरियाफ्त की तो परिवादी ने बताया कि मेरे पिताजी बीरम सिंह ने हमारी पुश्तैनी चल अचल सम्पति मेरे छोटे भाई नरपत सिंह के दोनो पुत्र खुशाल सिंह, विशाल सिंह के नाम करवा दी जबकि मेरे हिस्से की जमीन मेरे कब्जे में है। इसी विवाद के चलते मैने मेरे पुत्र चरण सिंह से मेरे पिता बीरम व छोटे भाई सहित उनके परिवार वालो के विरूद्व एसडीएम कोर्ट नसीराबाद मे एक वाद दायर करवाया जिसका प्रकरण संख्या 73 सन् 2021 है इस प्रकरण में एसडीएम न्यायालय नसीराबाद से स्टे आदेश है जिसमें आगामी तारीख 30.08.22 नियत है जमीनी विवाद के कारण मुझे मेरे पिता, भाई एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों से आये दिन जान से मारने की धमकियां मिलती है इसलिए इन्हे पाबन्द कराने हेतु मैने मेरी पत्नि श्रीमति सीता से एक परिवाद अन्तर्गत धारा 87, 107, 116(3), 151 दण्ड प्रकियां संहिता में एसडीएम कोर्ट नसीराबाद में पेश करवाया, जिसकी जांच नसीराबाद सदर थाने वालो ने करके नोटिस भी तामील करवा दिये। इसके बाद मैने एसडीएम के रीडर श्री गिरीराज सैनी से सम्पर्क किया तो उसने इनको पाबन्द कराने के नाम पर दस हजार रूपये रिश्वत के मांगे तथा 4–5 दिन पहले एक हजार रूपये ले लिये, और रिश्वत मांग रहा है मै उसे रिश्वत नही देना चाहता हूँ इसलिए मैने कल दिनांक 27.07.2022 को हेल्पलाईन नम्बर 1064 पर शिकायत की थी। उसके बाद आपके कार्यालय से सम्पर्क होने पर आज आपके कर्मचारी रविन्द्र सिंह व श्योपाल के मेरे पास आने पर मैने इन्हे यह स्वयं की हस्तलिखित रिपोर्ट पेश की, जिस पर मेरे स्वयं के हस्ताक्षर है जो सही है। मै व रविन्द्र जी मेरे रेस्टोरेंट से रवाना होकर नसीराबाद एसडीएम कोर्ट के बाहर पहुँचे जहा पर रविन्द्र जी ने मुझे वॉयस रिकॉर्डर चालु करके दिया तथा मै रिकॉर्डर लेकर एसडीएम कोर्ट मे गया जहॉ पर कोर्ट में श्री गिरीराज सैनी रीडर मिला जिससे मैने बात की तथा पाबन्द कराने के लिए कहा तो उसने एक पर्ची पर 10000 रूपये लिख कर बताये। जिस पर मैने कहा कि एक हजार तो पहले दे दिये नो हजार कब दे तब उसने कहा कि आपकी इच्छा होवे जब। उसके बाद मैं श्री रविन्द्र जी के पास आया और हम वहां से रवाना होकर आये है पुछने पर बताया कि मेरी श्री गिरीराज सैनी रीडर से कोई रंजिश व उधार का लेन देन नही है डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सरसरी तौर पर सुना गया तो परिवादी के कथनो की पुष्टी हुयी। परिवादी को रूखसत किया गया। तत्पश्चात् अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमती रूचि उपाध्याय म.कानि. जरिये तहरीर स्वतन्त्र गवाहान श्री सुरेश नारायण गुर्जर, वरिष्ठ सहायक एवं श्री भरत सिंह वरिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, पीडब्ल्यूडी, नगर खण्ड, अजमेर को हमराह लेकर उपस्थित कार्यालय आयी। उक्त दोनो गवाहान का परिचय प्राप्त किया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनो गवाहान को पढकर सुनाया तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के वॉयस रिकॉर्डर मय मूल मेमोरी कार्ड को चलाकर उसके मुख्य मुख्य अंश सुनाये जाकर दोनो गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्राप्त की। तत्पश्चात् तलबशुदा परिवादी कार्यालय में उपस्थित आया, जिसका स्वतन्त्र गवाहान से आपस में परिचय करवाया। उसके बाद रूबरू गवाहान बमौजूदगी परिवादी फर्द

ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तैयार कर उस पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। उक्त वार्ता की दो डीवीडीयां तैयार की जाकर अलग–अलग कागज के लिफाफे मे रखी गई एवं मूल मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर सिल्ड चिट किया जाकर मार्क **"एम"** अंकित किया जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। दिनांक 29.07.22 को परिवादी श्री गणपत सिंह एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री सुरेश नारायण गुर्जर एवं श्री भरत सिंह उपस्थित कार्यालय हाजा आये। समय 08.15 एएम पर परिवादी एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे परिवादी को रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी ने रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के 18 नोट कुल 9,000 रूपये पेश किये, जिन पर श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि0 321 से कार्यालय की अलमारी मे से फिनोफथलीन पाउडर मंगवाकर नोटो पर श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि0 321 से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री गणपत सिंह द्वारा पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब मे कुछ भी शेष नही छोडते हुए पाउडरयुक्त नोट रखवाये गये। परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत पृथक से तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। उसके बाद परिवादी श्री गणपत सिंह एवं श्री गोविन्द सहाय कानि0 1, श्री रविन्द्र सिंह कानि0 308 मय वॉयस रिकार्डर मय नया मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी की कार से एवं मन् उप अधीक्षक पुलिस मय श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0 58, श्री युवराज सिंह हैड़ कानि0 120, श्री शिव सिंह कानि0 547 मय स्वतन्त्र गवाहान श्री सुरेश नारायण गुर्जर, श्री भरत सिंह मय ट्रेप बॉक्स एवं लेपटॉप, प्रिंटर सहित प्राईवेट कार से एसीबी ऑफिस से लव गार्डन रेस्टोरेंट, बीर चौराहा पर पहुँचे। तत्पश्चात् परिवादी श्री गणपत सिंह, परिवादी का पुत्र श्री परमेश्वर, श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0, श्री रविन्द्र सिंह कानि0 एवं स्वतन्त्र गवाह श्री भरत सिंह के परिवादी की कार से रवाना एसडीएम ऑफिस नसीराबाद की ओर कर श्री रविन्द्र सिंह कानि0 को हिदायत दी गई कि एसडीएम कार्यालय के बाहर परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालु कर सुपुर्द कर एसडीएम ऑफिस के लिए रवाना करें। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के प्राईवेट कार से उनके पीछे–पीछे रवाना होकर एसडीएम कार्यालय नसीराबाद के बाहर सड़क पर पहुँचे तथा अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे में मुकिम हुए। परिवादी व उसका पुत्र कार से उतरकर एसडीएम ऑफिस में जाते हुए दिखायी दिये। समय 10.35 एएम पर परिवादी श्री गणपत सिंह के पुत्र श्री परमेश्वर ने अपने मोबाईल नम्बर 9887766089 से श्री रविन्द्र सिंह कानि0 के मोबाईल नम्बर 8875777144 पर फोन पर रिश्वत लेन–देन का ईशारा किया, जिस पर श्री रविन्द्र सिंह के साथ खड़े श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0 ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को फोन कर ईशारा किया। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के उपखण्ड मजिस्ट्रेट नसीराबाद कार्यालय के गेट पर पहुँचा, जहां पर परिवादी श्री गणपत सिंह एवं उसका पुत्र परमेश्वर, श्री रामचन्द्र हैड़, श्री रविन्द्र सिंह कानि0, स्वतन्त्र गवाह श्री भरत सिंह उपस्थित मिले, जिन्हें साथ लेकर एसडीएम न्यायालय कक्ष नसीराबाद में प्रवेश किया। परिवादी से वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर बंद किया गया। एसडीएम डाईस के पास रीडर की कुर्सी पर एक व्यक्ति सफेद शर्ट पहने हुए एवं चश्मा लगाये हुए बैठा मिला, जिसकी और परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यह ही गिरीराज सैनी रीडर साहब हैं। इस पर उक्त व्यक्ति को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए आने का प्रयोजन बताकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम गिरीराज प्रसाद सैनी, रीडर एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम ऑफिस, नसीराबाद जिला अजमेर होना बताया। इस पर श्री गिरीराज प्रसाद सैनी रीडर को परिवादी श्री गणपत सिंह से 9 हजार रूपये रिश्वत राशि लेने के संबंध में पूछा तो उसने बताया कि " मैंने इनसे कोई रिश्वत नही ली हैं। अभी थोडी देर पहले यह मेरे पास आया था तथा इसने मुझे कहा कि मेरे वाला प्रार्थना पत्र दो मैं खुद एसडीएम साहब के पेश हो जाता हूँ। इस पर मैंने इनके द्वारा दिनांक 14.07.22 को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में दिनांक 14 को काटकर 28 लिखकर इनको दिया तथा इसने अपनी मर्जी से मेरी टेबल पर रखे कागजो में रूपये रख दिये, जिस पर मैंने अपना मोबाईल रख दिया था।" इस पर पास ही खड़े परिवादी ने स्वतः ही बताया कि "रीडर साहब गिरीराज जी ने मेरे से मेरे विपक्षी पार्टी वालो को पाबन्द कराने के लिए 10 हजार रूपये मांगे थे तथा 1 हजार रूपये 4–5 दिन पहले ले लिये। कल मैं आपके स्टॉफ के श्री रविन्द्र सिंह के साथ एसडीएम ऑफिस में रिकार्डर लेकर आया और मैंने इनसे बात की तो इन्होंने पाबन्द

कराने के लिए मेरे से 10,000 रूपये रिश्वत के मांगे, जो एक सफेद कागज की पर्ची पर लिखकर बताया और पर्ची को टेबल के नीचे डाल दी। जिस पर मैंने कहा कि हजार रूपये तो मैने पहले आपको दे दिये, 9000 रूपये और दे दूंगा। इसकी मांग अनुसार अभी मैं इनके पास आया और इन्हैं 9,000 रूपये रिश्वत राशि देने लगा तो इन्होंने एक सफेद कागज में रखवाकर अपनी टेबल पर लगे हुए कम्प्यूटर के पास पड़े कागजो पर रख दिये और कागजो के उपर अपना मोबाईल रख दिया। इसके बाद मेरे बेटे ने रविन्द्र जी को फोन करके रिश्वत लेने का ईशारा कर दिया।" इस पर श्री गिरीराज प्रसाद को पुनः पूछा कि आपने कल गणपत सिंह से 10,000 रूपये एक पर्ची पर लिखकर मांगे थे वह पर्ची कहा है ? इस पर श्री गिरीराज प्रसाद ने बताया कि "मैंने टेबल के नीचे डाल दी थी। सफाई कर्मचारी ने झाड़ू लगा दिया होगा।" इस पर आरोपी की टेबल के नीचे रखे कचरा दान एवं टेबल के नीचे आस–पास के स्थान पर उक्त पर्ची की तलाश की गई परन्तु पर्ची नही मिली। इसके बाद परिवादी से पूछा कि श्री गिरीराज प्रसाद नोटो को गिना है क्या ? जिस पर परिवादी ने बताया कि इन्होने नोटो के हाथ नही लगाया और एक सफेद रफ कागज में रखवाकर उसमे लपेट कर अपनी टेबल के उपर पड़े अन्य कागजो के साथ रख लिया और उनके उपर मोबाईल रख दिया।" आरोपी को पूछा तो उसने कहा कि मैने नोटो के हाथ नही लगाया ना ही गिने।" इसके बाद गवाह श्री भरत सिंह से आरोपी के सामने लगी टेबल पर रखे कागजो में रिश्वत राशि ढुढने के लिए कहा तो गवाह ने आरोपी की टेबल पर रखी फर्द अहकाम प्रकरण संख्या 543/22 सरकार बनाम बीरम की पत्रावली के नीचे पडे एक मोबाईल को हटाया तो उक्त मोबाईल के नीचे एक रफ कागज, जिस पर लेजर प्रिंटर एम1005 का टैस्ट प्रिंट, जिसका एक कोना फटा हुआ है को उठाकर देखा तो उक्त लिपटे हुए कागज में 500–500 रूपये के नोट दिखायी दिये, जिस पर दोनो गवाहान को पूर्व में तैयार फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत से नोटो के नम्बरो का मिलान करने की कहने पर दोनो गवाहान ने नोटो को गिनकर 500–500 रूपये के 18 नोट कुल 9,000 रूपये होना एवं नोटो के नम्बरो का मिलान हूबहू होना बताया। जिस पर उक्त नोट गवाह श्री भरत सिंह के पास ही रखवाये गये। इस पर एसडीएम कार्यालय से एक साफ कांच का गिलास मंगवाया जाकर एसडीएम कार्यालय में लगे हुए वाटर कुलर मे से एक लोटा भरकर पानी मंगवाकर गिलास को पुनः साफ करवाकर गिलास मे साफ पानी भरकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया, जिसमे आरोपी की टेबल पर सफेद रफ कागज जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई उक्त कागज को सफेद कपड़े की चिंदी से पोंच कर उसको गिलास में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात दो कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर दोनो को सील्ड चिट किया जाकर मार्क क्रमशः के.1, के.2 चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त सफेद चिंदी को नष्ट किया गया। बरामदशुदा नोटो पर एक सफेद कागज में सिल्ड चिट कर कागज पर संबन्धित हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कागज जिसमें रिश्वत राशि बरामद हुई, उस पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर आगे–पीछे से एक फोटो कॉपी करवाकर मूल कागज को एक सफेद कपड़े की थेली मे डालकर सिल्ड चिट कर मार्क "के" अंकित कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। इसके बाद एसडीएम कार्यालय में स्थित जनसुनवाई कक्ष खुलवाकर उसमें बैठकर फर्द बरामदगी एंव हाथ धुलाई टाईप करना प्रारम्भ किया। परिवादी द्वारा एसडीएम कार्यालय में दायर करवाये गये प्रकरण संख्या 543/22 की पत्रावली एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गयी। नक्शा मौका घटनास्थल पृथक से तैयार किया गया। आरोपी श्री गिरीराज प्रसाद सैनी को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। उसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस, मय आरोपी श्री गिरीराज प्रसाद सैनी, स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं एसीबी स्टॉफ मय जब्तशुदा आर्टिकल, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिंटर के परिवादी कार एवं प्राईवेट वाहन से एसडीएम कार्यालय नसीराबाद से रवाना होकर एसीबी कार्यालय अजमेर पहुँचा। प्रकरण में जब्तशुदा समस्त आर्टिकल जरिये श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0 जमा मालखाना करवाये गये। परिवादी श्री गणपत सिंह एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे रिश्वत राशि लेन–देन के समय रूबरू हुई वार्ता, जो डिजीटल वॉइस रिकार्डर मे लगे 16जी.बी. एस.डी. कार्ड मे रिकार्ड है, को शब्द ब शब्द सुनकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता तैयार की जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की

कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से दो डीवीडीयां तैयार की जाकर अलग–अलग कागज के लिफाफे मे रखी गई एवं मूल मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपड़े की थैली मे रखकर सिल्ड चिट किया जाकर मार्क **"एम–1"** अंकित किया जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया।

उपरोक्त तथ्यो एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री गणपत सिंह द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती सीता के नाम से एस.डी.एम. कोर्ट नसीराबाद, जिला अजमेर में श्री वीरम सिंह वगैरह 9 व्यक्तियो के विरूद्ध धारा 87 , 107, 116(3), 151 सीआरपीसी में जरिये वकील दिनांक 07.06.22 को प्रस्तुत किये गये परिवाद में विपक्षी पार्टी को पाबन्द करवाने की एवज में आरोपी श्री गिरीराज प्रसाद रीडर, एसडीएम कोर्ट नसीराबाद द्वारा परिवादी से 10,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 1000 रूपये रिश्वत राशि पूर्व में प्राप्त करना तथा आज दिनांक 29.07.22 को 9000 रूपये रिश्वत राशि एक सफेद रफ कागज में रखवाकर परिवादी से प्राप्त किये, जो रिश्वत राशि एसडीएम कोर्ट डाईस के पास लगी आरोपी की टेबल के उपर रखे कागजो से बरामद की गई। इस प्रकार आरोपी श्री गिरीराज प्रसाद सैनी, रीडर एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम ऑफिस, नसीराबाद जिला अजमेर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 का कारित करना पाया जाने पर उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित है।

(प्रभुलाल कुमावत)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
अजमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रभुलाल कुमावत, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री गिर्राजप्रसाद सैनी हाल रीडर एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम ऑफिस, नसीराबाद जिला अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 300/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

29.7.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 2631-35 दिनांक 29.7.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, अजमेर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।

29.7.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।